

13/10/16

पकील वादी उपस्थित। उन्हें सुना गया। उनके तर्क अभिलेख की स्थिति को इच्छित रखते हुए सार्यक पाये जाते हैं अतः अर्पित पत्र गूट स्वीकार किया जा रहा है तथा अदेश दिनांक 11/07/2008 वाद के निस्तारा तथा इस विवाद के साथ स्याही किया जाता है कि मौजा बोग लियावास स्थित विवादित आरजी खे.ने. 153/6 खसका 05 बीघा के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 स्वयं क्षयक उनके रिश्तेदार, एजेन्ट हाती सहित कोई भी पत्थरो की डोल नही बनोके ना ही जबरन कब्जा करे। अदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। मिसल फैसल शुमार होकर वाद पत्रावली के साथ नथी हो।

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

